भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

10.12.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1834 का उत्तर

बांदा-चित्रकूट क्षेत्र में रेल सुविधाएं

1834. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वंदे भारत, अज्ञात/इंटरसिटी या किसी नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाकर बांदा-चित्रकूट रेल खंड को सीधे दिल्ली और प्रयागराज से जोड़ने का विचार है और यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) झांसी-बांदा-चित्रकूट मार्ग के दोहरीकरण कार्य और बांदा-करवी-माणिकपुर खंड की वर्तमान प्रगति सहित इन कार्यों के पूर्ण होने की अनुमानित समयावधि क्या है;

(ग) क्या सरकार का माणिकपुर जंक्शन पर प्लेटफार्म विस्तार, विद्युतीकरण उन्नयन और अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव जैसी सुविधाओं को बढ़ाते हुए इसे एक प्रमुख इंटरचेंज स्टेशन के रूप में विकसित करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र के रेल नेटवर्क को पूर्वांचल और उत्तर भारत की प्रमुख रेल लाइनों से जोड़ने के लिए एक विशेष "बुंदेलखंड रेल संपर्क पैकेज" पर काम कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): वर्तमान में, बाँदा/चित्रकूट स्टेशन दिल्ली और प्रयागराज से क्रमशः 02 जोड़ी और 10 जोड़ी रेलगाड़ी सेवाओं से जुड़ी हुई हैं। इसमें 26505/06 बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं जो बाँदा-चित्रकूट-प्रयागराज खंड की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।

माणिकपुर स्टेशन वर्तमान में 45 जोड़ी रेलगाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित हैं, जो दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुंबई, कोलकाता, कन्याकुमारी, चेन्नै आदि को जोड़ती है। इसके अलावा, नई रेलगाड़ी सेवाओं का शुरू करना/ठहराव, जो निरतंर चलने वाली प्रक्रिया है, विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें शामिल हैं-

- **उस खंड की क्षमता**
- **मार्ग की उपलब्धता**
- **अपेक्षित चल स्टॉक की उपलब्धता**
- **चल स्टॉक के लिए समान अवसंरचना की उपलब्धता**
- **रेलपथों और अन्य परिसंपत्तियों की रखरखाव आवश्यकता**

<u>दोहरीकरण और विद्युतीकरण</u>

झाँसी-बांदा-चित्रकूट-माणिकपुर रेल लाइन विद्युतीकृत है। इस रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किया गया है। विवरण निम्नानुसार हैः

झाँसी-खैरार-माणिकपुर और खैरार-भिमसेन (431 कि.मी.) दोहरीकरण परियोजना का कार्य 4330 करोड़ रूपए की लागत से शुरू किया गया है। इस परियोजना को नवंबर, 2022 में राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए "विशेष रेल परियोजना" के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुल 97 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 67 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। मार्च, 2025 तक 1830 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और वित्त वर्ष 2025-26 में इस परियोजना के लिए 1416 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है। कार्य शुरू कर दिए गए हैं। अब तक, 81 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में बुंदेलखंड क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 6,414 किलोमीटर लंबाई वाली 119 सर्वेक्षण कार्य (33 नई लाइन, 84 दोहरीकरण और 02 आमान परिवर्तन) स्वीकृत किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 में और चालू वित्त वर्ष 2025-26 में बुंदेलखंड क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 5,901 किलोमीटर लंबाई वाली 61 सर्वेक्षण कार्य (18 नई लाइन और 43 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं। कुछ प्रमुख सर्वेक्षण हैः-

क्र.सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत
1	वीरांगना लक्ष्मीबाई-झाँसी-मुस्तरा आरयूआर बाईपास (07 कि.मी.)	डीपीआर तैयार किया गया
2	माणिकपुर-कटनी-जबलपुर-इटारसी- तीसरी लाइन (518 कि.मी.)	डीपीआर तैयार किया गया
3	धौलपुर -झाँसी-बीना चौथी लाइन (333कि.मी.)	डीपीआर तैयार किया गया

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

अमृत भारत स्टेशन योजना

भारतीय रेल ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में स्टेशनों में सुधार लाने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है। इस मास्टर योजना में निम्नानुसार शामिल हैः-

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार,
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण,
- स्टेशन भवन में सुधार,
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पानी के बूथ में सुधार,
- यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े पैदल पार पुल/एयर कॉनकोर्स का प्रावधान,
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियों/रैंप का प्रावधान,
- प्लेटफॉर्म की सतह और प्लेटफॉर्म पर कवर में सुधार/प्रावधान,
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क का प्रावधान,
- पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों के साथ एकीकरण,
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं,
- बेहतर यात्री सूचना प्रणाली,
- प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि का प्रावधान।

इस योजना में आवश्यकतानुसार, चरणबद्ध एवं व्यवहार्य रूप से संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेलपथ का प्रावधान आदि तथा दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास हेतु 1337 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है, जिनमें से माणिकपुर जंक्शन स्टेशन सहित 157 स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	स्टेशनों की सं.	स्टेशनों के नाम
उत्तर प्रदेश	157	अछनेरा, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, ऐशबाग जं., अकबरपुर जं., अलीगढ, अमेठी, अमरोहा, आनंद नगर जं., आंवला, अयोध्या धाम जंक्शन, आज़मगढ़, बाबतपुर, बछरावां, बदांयू, बादशाहनगर, बादशाहपुर, बहेड़ी, बहराईच, बालामऊ जं., बलिया, बलरामपुर, बनारस, बांदा, बाराबंकी जं., बरेली, बरेली सिटी, बढ़नी, बस्ती, बेल्थरा रोड, भदोही, भरतकुंड, भटनी, भूतेश्वर, बिजनौर, बुलन्दशहर, चंदौली मझवार, चंदौसी, चिलबिला, चित्रकूट धाम कर्वी, चोपन, चुनार जं., डालीगंज, दर्शननगर, देवरिया सदर, धामपुर, दिलदारनगर, इटावा जं., फर्रुखाबाद, फतेहाबाद, फतेहपुर, फतहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, गजरौला, गढ़मुक्तेसर, गौरीगंज, घाटमपुर, गाजियाबाद, ग़ाज़ीपुर सिटी, गोला गोकर्णनाथ, गोमतीनगर, गोंडा, गोरखपुर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, गुरसहायगंज, हैदरगढ़, हापुड, हरदोई, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जंक्शन, इज्जतनगर, जंघई जंक्शन, जौनपुर सिटी, जौनपुर जंक्शन, कन्नौज, कानपुर अनवरगंज, कानपुर ब्रिज लेफ्ट बैंक, कानपुर सेंट्रल, कप्तानगंज जंक्शन, कासगंज जंक्शन, काशी, खलीलाबाद, खोरासों रोड, खुर्जा जंक्शन, कोसी कलां, कुंडा हरनामगंज, लखीमपुर, लालगंज, ललितपुर जंक्शन, लंभुआ, लोहता, लखनऊ (चारबाग) उत्तर रेलवे, लखनऊ सिटी, लखनऊ जंक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे), मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन, मगहर, महाराजा बिजली पासी, महोबा जंक्शन, मैलानी जंक्शन, मैनपुरी जंक्शन, मल्हौर, मानक नगर, मानिकपुर जंक्शन, मारियाहू, मथुरा जंक्शन, मऊ जंक्शन, मेरठ सिटी जंक्शन, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर, मोहनलालगंज, मुरादाबाद जंक्शन, मुजफ्फरनगर, नगीना, नजीबाबाद जंक्शन, उरई, पनकी धाम, फाफामऊ जंक्शन, फूलपुर, पीलीभीत जंक्शन, पोखरायां, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, रायबरेली जंक्शन, राजा की मंडी, रामघाट हाल्ट, रामपुर जंक्शन, रेनुकूट, सहारनपुर जंक्शन, सलेमपुर, स्योहारा, शाहगंज जंक्शन, शाहजहाँपुर, शामली, शिकोहाबाद जंक्शन, शिवपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर जंक्शन, सोनभद्र, श्रीकृष्ण नगर, सुल्तानपुर जंक्शन, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, तकिया, तुलसीपुर, टूंडला जंक्शन, उझानी, ऊंचाहार, उन्नाव जंक्शन, उतरेतिया जंक्शन, वाराणसी कैंट, वाराणसी सिटी, विंध्याचल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, व्यासनगर, जाफराबाद।

उत्तर प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तेज गति से शुरू किए गए हैं। अब तक, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में 22 स्टेशनों (अयोध्या धाम, बलरामपुर, बरेली सिटी, बिजनौर, फतेहाबाद, फतेहपुर गोला गोकर्णनाथ, गोमती नगर, गोवर्धन, गोविंदपुरी, हाथरस सिटी, ईदगाह आगरा जं., इज्जतनगर, मैलानी, पनकी धाम, पुखरायां, रामघाट हॉल्ट, सहारनपुर जं., सिद्धार्थ नगर, सुरेमनपुर, स्वामीनारायण छपिया, उझानी पर कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

अन्य स्टेशनों पर किए जा रहे कार्य भी तेज़ गति से शुरू किए गए हैं और उपरोक्त कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नलिखित है:

माणिकपुर जंक्शन स्टेशन: नए प्रतीक्षालय और राजकीय रेल पुलिस कार्यालय, पहुँच मार्ग, पार्किंग और जन उद्घोषणा प्रणाली सहित नए जी+1 सेवा भवन के निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। स्टेशन भवन में सुधार, द्वितीय प्रवेश भवन का निर्माण, परिचलन क्षेत्र, दिव्यांगजन सुविधाएं, प्रकाश व्यवस्था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 12 मीटर पैदल पार पुल के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
बांदा स्टेशन: प्लेटफार्म की सतह की मरम्मत का कार्य, परिचलन क्षेत्र में नालियां और पार्किंग क्षेत्र में चाहरदीवारी का कार्य पूरा किया जा चुका है। प्रवेश द्वार का कार्य शुरू कर दिया गया है।

चित्रकूट धाम करवी स्टेशन: स्टेशन भवन, शौचालय, प्लेटफॉर्म की सतह, मुख्य प्रवेश द्वार, परिचलन क्षेत्र और लैंडस्केपिंग में सुधार कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

भारतीय रेल में स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के प्रावधान सहित स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन,

आवश्यकतानुसार कार्य किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए कार्यों को स्वीकृति देते और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आबंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है, न कि कार्य-वार या स्टेशन-वार या राज्य-वार। उत्तर प्रदेश राज्य पाँच क्षेत्रीय रेलों नामतः पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकारी में आता है। इन क्षेत्रीय रेलों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,358 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें से अब तक (अक्टूबर, 2025 तक) 2,288 करोड़ रुपए का व्यय उपगत किया गया है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है, जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए फायर क्लीयरेंस, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइपलाइन, विद्युत/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) को स्थानांतरित करना, अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः, इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।
